भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3942

17.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय

3942. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में, पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय मछुआरों और अन्य नागरिकों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तान द्वारा रिहा किए गए भारतीय मछुआरों और अन्य नागरिकों की संख्या आज की तारीख में कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीय मछुआरों और अन्य नागरिकों को मुक्त कराने हेतु कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 64 भारतीय तथा भारतीय समझे जाने वाले सिविलियन कैदी और 209 भारतीय मछुआरे तथा भारतीय समझे जाने वाले मछुआरे पाकिस्तान की कैद में है। पाकिस्तान ने 1 जुलाई 2019 को 52 सिविलियन कैदियों और 209 मछुआरों के अपनी कैद में होने की बात को स्वीकार किया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय सिविलियन कैदियों और मछुआरों की रिहाई और भारत वापसी के संबंध में वर्ष-वार ब्यौरे निम्नवत हैं:-

वर्ष	2016	2017	2018	2019 (11 जुलाई तक)
रिहा किए गए भारतीय मछुआरे	410	508	174	355
रिहा किए गए भारतीय सिविलियन कैदी	02	07	05	07

(ग) और (घ) सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों की हिफाजत, सुरक्षा और बेहतरी को बहुत महत्व देती है और सभी भारतीय सिविलियन कैदियों और मछुआरों की उनकी नौकाओं सहित शीघ्र रिहाई और देश वापसी के मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ निरंतर उठाती रहती है। निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप सरकार वर्ष 2014 से अब तक

पाकिस्तान की कैद से मछुआरों सहित 2110 भारतीय कैदियों की रिहाई और देश वापसी कराने में सफल रही है। इसमें इस वर्ष अब तक मछुआरों सहित 362 भारतीय कैदियों के रिहाई और देश वापसी शामिल है।

****